

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 30.06.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा अ0सं0 68/24 धारा 3/5ख/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 घ पशु क्रूरता अधि0 व 120 बी भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त गण 1.मो0 अब्दुल्ला पुत्र अली हुसैन निवासी निकट सैनी बस स्टाप थाना सैनी जनपद कौशांबी 2. अनीस पुत्र शरीफ निवासी बदनपुरा थाना गोहन जनपद जालौन 3. नारू पुत्र गोरूलाल निवासी जगपुरा थाना रानपुर जनपद कोटा राजस्थान 4. राजू पुत्र गोरूलाल निवासी उपरोक्त 5.मोहरसिंह पुत्र स्व0 गोपीचन्द निवासी कलमका कुंआ थाना रानपुर जिला कोटा राजस्थान 6. सुरेन्द्र यादव पुत्र लालजी निवासी हुसैनपुर मधुकर थाना सादात जनपद गाजीपुर हालपता-लेडूपुर (हासापुर) थाना सारनाथ वाराणसी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अ0सं0 144/24 धारा 354/504/506/354ख भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त अंकुश उर्फ अंकुशराज पुत्र शिद्दगोपाल निवासी नहोली थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 451/18 धारा 366/504/506भा0द0वि0 व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शाहरूख पुत्र मकशूदअली निवासी पातेपुर अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 277/21 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 5जे2/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अमित कटियार पुत्र मोहनलाल निवासी राजेन्द्रनगर सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सहाबापुर प्रधान देवेश उर्फ दीपक पुत्र अभिमन्यू निवासी ग्राम सहाबापुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा नाजायज तमंचे से हर्ष फायरिंग करना जिससे एक बालक घायल हो जाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 291/2024 धारा 25(9) आर्म्स एक्ट व 337 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 14 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना अमराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।